भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4413
दिनांक 27 मार्च, 2025
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियां

†4413. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान सामाजिक कल्याण के लिए किए गए कार्यों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों पर उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है तथा इससे लाभान्वित हुए लोगों की स्थानवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने सीएसआर के अंतर्गत निधि के उपयोग के बारे में कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का सीएसआर के अंतर्गत निधि का, विशेषकर पिछड़े तथा अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में व्यय किया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को ओएनजीसी द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों की निगरानी के लिए कोई सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (छ): तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत अभिज्ञात शीर्षों के तहत सीएसआर कार्यकलाप करती हैं, जिनमें विशेष ध्यान स्वास्थ्य (पोषण, स्वच्छता, और पेयजल), शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, वृद्धजन और दिव्यांगजनों की देखभाल के लिए संबंधित वातावरण वाली उन्मुख पहलों पर है। सीएसआर कार्यकलाप ओएनजीसी द्वारा स्वयं अथवा एजेंसियों/केंद्र/राज्य सरकारों के विभाग द्वारा किए जाते हैं। सीएसआर, एक बोर्ड आधारित प्रक्रिया है और कम्पनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, संस्वीकृति देने, निष्पादित करने और निगरानी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सरकार एमसीए 21 पोर्टल पर कंपनियों द्वारा प्रकाशित जानकारी के माध्यम से सीएसआर प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए सीएसआर कार्यकलापों तथा उस पर खर्च की गई धनराशि के राज्य/ कार्यान्वयन एजेंसी-वार ब्यौरे ओएनजीसी की वेबसाइट अर्थात www.ongcindia.com पर उपलब्ध हैं।

****